राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: ५12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम डूडू

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना (आर० ए० एस०)

विनोद कुमार परवाल पुत्र श्री हंसराज परवाल जाति महेश्वरी उम्र 57 साल, निवासी A-54 कमेला शौलानसिंह कालोनी, शास्त्रीनगर जयपुर बनाम अंकित पुत्री ~~किशन~~ कृष्ण कुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी P-28 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर (राज०) व अन्य दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 13 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू लोकेश शर्मा एड०, शिवराज शर्मा एड०

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू स्वयं उपस्थित

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2274, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2358, कुल किता 07 कुल रकबा 18.6200 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 4 रामजानकी के दर्ज हिस्सा 18/25 को हजफ किया जाकर उनके स्थान पर वादी का हिस्सा 3/25, प्रतिवादी संख्या 4/1 कृष्ण कुमार का हिस्सा 11/25, प्रतिवादी संख्या 5 पुनीत का हिस्सा 4/25 दर्ज किया जाता है) बाबत

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ..... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 05 सन् 2017 को

जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान.		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीज़ान			मीज़ान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 73/2017
वाद दायरी दिनांक : 22/06/2017
निर्णय दिनांक : 24/05/2018

विनोद कुमार परवाल पुत्र श्री हंसराज परवाल जाति माहेश्वरी उम्र 57 साल निवासी ए–54 ए. मेजर शैतानसिंह कॉलोनी, शस्त्रीनगर जयपुर राज0।

–– वादी

बनाम

1. अंकिता पुत्री कृष्ण कुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए 28 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर राज0।
2. अंकेश परवाल पुत्र विनोद कुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए–54 ए, मेजर शैतानसिंह कॉलोनी, शास्त्रीनगर जयपुर राज0।
3. दीपिका पुत्री कृष्णकुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए 28 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर राज0।
4. रामजानकी देवी पत्नि उत्तमचन्द परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए 28 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर राज0–फौत जरिये कायम मुकामानः–
   4/1– कृष्ण कुमार परवाल पुत्र हसराज परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए–28 रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर राजस्थान।
5. पुनीत पुत्र कृष्णकुमार परवाल जाति माहेश्वरी निवासी ए 28 रामनगर शास्त्री नगर जयपुर राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री लोकेश शर्मा**
श्री शिवराम शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 स्वयं उपस्थित।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

निर्णय दिनांक 24/05/2018

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोराज में निम्न खसरा नम्बर की आराजी स्थित है:—

खसरा नम्बर	रकबा
2274	3.6100
2352	0.0100 गै0मु0चाह
2353	4.6900
2354	4.3000
2355	1.9000
2356	0.0100 गै0मु0 चाह
2358	4.1000
.....	.....
कुल किता 7	18.6200 हेक्टेयर

उपुर्यक्त खसरा नम्बरान का पुराना खसरा नम्बर 2609/1 था जिसका कुल रकबा 74 बीघा 8 बिस्वा था। यह कि उपरोक्त आराजी में खसरा नम्बर 2352 व 2356 जो कि गै0मु0चाह है तथा इनका रकबा 0.0200 हैक्टेयर है। गै0मु0चाह के अलावा शेष खसरा नम्बर 18.6000 हैक्टेयर है। जिसका रकबा विस्वा में 1488 बिस्वा है। उपरोक्त आरजी में प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 5 अन्य की खातेदारी पूर्व में निम्न प्रकार से थी।

कुमारी अंकिता—प्रतिवादी सं01 हिस्सा 1/8
अंकेश परवाल— प्रतिवादी सं02 हिस्सा 1/8
दीपिका परवाल— प्रतिवादी सं03 हिस्सा 1/6
कुमारी अंकिता —प्रतिवादी सं01 हिस्सा 1/6
पुनीत— प्रतिवादी सं05 हिस्सा 1/6

शिवशंकर यादव 1/12 ना0सं0 1668 के अनुसार बेचान से पूरणसिंह व रामअवतार 2/12 खातेदारी भंवरलाल. सूजाराम देवाराम पुत्र दयानन्द यादव सायर. गणेश के नाम दर्ज की गई। मौजूदा वाद में शिवशंकर, पूरणसिंह, रामअवतार का जो 1/4 हिस्सा है वह विवादग्रस्त नहीं है।

इस प्रकार से विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 अंकिता का 1/8+1/6 कुल 7/24 हिस्सा. प्रतिवादी सं02 अंकेश का हिस्सा 1/8 प्रतिवादी सं03 दीपिका का 1/6 एवं प्रतिवादी सं05 पुनीत का 1/6 हिस्सा था तथा प्रत्येक का हिस्सा बिस्वा में निम्न प्रकार से रहा है।

Scanned by CamScanner

कु0 अंकिता–प्रतिवादी संख्या 1 1/8+1/6 कुल 434 बिस्वा

अंकेश–प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/8 कुल 186 बिस्वा

दीपिका –प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/6 कुल 248 बिस्वा

पुनीत– प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 कुल 248 बिस्वा

यह है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 ने अपने 3/4 हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20/3/2004 को 1/25 वां हिस्सा जीवणराम, मोतीराम, श्रवणलाल जाट निवासी महापुरा को विक्रय कर दिया। विकय पत्र दिनांक 20/3/2004 की बिना पर जब नामान्तरकरण सं0 1706ए तस्दीक किया गया तो जो वाद क मद नम्बर 2 में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 का हिस्सा दर्शाया गया है उसके अनुसर खरीददार के हक में तो 3/100 का नामान्तरकरण सही तस्दीक किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 के पृथक पृथक हिस्सा होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 का संयुक्त रूप से 18/25 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत था तथा इस प्रकार से 18/25 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 का बराबर बराबर हिस्सा दर्ज हो गया जो कानूनन गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 का हिस्सा निम्न प्रकार से दर्ज होना चाहिए था।

प्रतिवादी संख्या 01 अंकिता	–	हिस्सा 7/25 416.64 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 02 अंकेश	–	हिस्सा 3/25 178.56 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 03 दीपिका	–	हिस्सा 4/25 238.08 बिस्वा
प्रतिवादी संख्या 05 पुनीत	–	हिस्सा 4/25 238.08 बिस्वा

तत्पश्चात दिनांक 12/10/2006 को किये गये भिन्न भिन्न विकय पत्रो के जरिये प्रतिवादी संख्या 02 अंकेश एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने अपना अपना सम्पूर्ण हिस्सा निम्न प्रकार से विकय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 02 अंकेश ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 3/25 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12/10/2006 के जरिये वादी विनोद कुमार को विकय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 अंकिता ने अपना 7/25 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 दीपिका ने अपना 4/25 हिस्सा जरिये अपने मुख्त्यार आम कृष्णकुमार प्रतिवदी संख्या 04 रामजानकी देवी को विकय कर दिया। वाद के मद नम्बर 6 में अंकित विकय पत्रो के आधार पर जो नामान्तरकरण संख्या 2101ए स्वीकृत किया गया उसमें भी गलती से हिस्से विनोद,

Scanned by CamScanner

रामजानकी देवी, पुनीत के हिस्से सही दर्ज नहीं किये गये जो निम्न प्रकार से होने चाहिए थे।

वादी विनोद कुमार हिस्सा 3/25

प्रतिवादी संख्या 04 रामजानकी देवी हिस्सा 11/25

प्रतिवादी संख्या 05 पुनीत हिस्सा 4/25

परन्तु उक्त प्रकार से हिस्से न दर्ज कर इन सभी का सामूहिक रूप से 18/25 हिस्सा विनोदकुमार रामजानकी देवी के नाम दर्ज कर दिया गया जो पूर्व की जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार नहीं है। राजस्व रिकोर्ड में पक्षकारो के हिस्से दर्ज नहीं होने से उनके अधिकारो का हनन होता है अतः उसे सुधारे जाने के लिए वाद प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के अलावा जो शेष हिस्सा अन्य पक्षकारो के नाम दर्ज है उसका कोई विवाद नही है। वादी ने जमाबंदी में दर्ज अशुद्वियों को सुधारे जाने हेतु राजस्व अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये तथा सुचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर उनका ध्यान आकर्षित किया परन्तु अपने पत्र दिनांक 2/3/2017 के द्वारा वादी को वादी/अपील दायर किये जाने का निर्देश दिया अतः वाद दायर किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दांदरसी चाही कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर इस्तकरारहक इस आशय का घोषित किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 वाद पत्र में वादी का हिस्स 3/25 प्रतिवादी संख्या 4 रामजानकी देवी का 11/25 एवं प्रतिवादी संख्या 5 पुनीत का 4/25 हिस्सा है तथा अकेली प्रतिवादी संख्या 4 रामजानकी देवी के नाम 18/25 हिस्सा जो दर्ज है वह गलत है असके स्थान पर वादी प्रतिवादी संख्या 04 व 5 के उपुर्यक्तानुसार हिस्से दर्ज किये जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 12/12/2017 को वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 के संलग्न सम्मन जरिये रजि. एडी. जारी किये गये। दिनांक 14/03/2018 को आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु आदेशित किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एव

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4/1 व 5 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया गया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण संख्या 1706 ए, नामान्तरकरण संख्या 2101 ए, नकल विक्रय–पत्र दिनांक 20/03/2004, नकल नक्शा ट्रेस, नकल बेचान–पत्र दिनांक 16/10/2006, नकल बेचान–पत्र दिनाक 16/10/2006 तथा जवाब तहसीलदार मौजमाबाद सूचना के अधिकार के मय पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि पटवारी हल्का बोराज की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2063 के खाता संख्या 15 में नामान्तरकरण संख्या 2101 ए/18.08.2007 विक्रय से अंकेश परवाल पुत्र विनोद कुमार, अंकिता, दीपिका, पुनित परवाल हि. 18/25 के बजाय विनोद कुमार पुत्र हंसराज परवाल माहेश्वरी जयपुर एवम् कृष्ण कुमार परवाल पुत्र हंसराज परवाल जरिये मुख्तयारआम अंकिता, दीपिका पुत्रियां कृष्णकुमार परवाल के बजाय रामजानकी धर्मपत्नी उत्तमचन्द परवाल सा0 प्लॉट नं. ए–28, रामनगर, शास्त्री नगर जयपुर हि.18/25 स्वीकार" का अंकन किया गया, जबकि नामान्तरकरण संख्या 1706 ए दिनांक 08/04/2004 से अंकिता पुत्री कृष्णकुमार मा.अंकेश पुत्र विनोदकुमार, कु. दीपिका पुत्री कृष्णकुमार, मा.पुनीत पुत्र कृष्णकुमार हि.18/25 दर्ज हुआ है, परन्तु नामान्तरकरण संख्या 2101ए दिनांक 18.08.2007 में हिस्सा 18/25 दो जगह दर्ज होने पर अंतिम अंकन रामजानकी धर्मपत्नी उत्तमचन्द परवाल सा0 प्लॉट नम्बर ए 28 रामनगर, शास्त्रीनगर जयपुर हि.18/25 नवीन जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 605 व सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 693 में दर्ज किया गया हैं। अतः इस प्रकार ग्राम बोराज के नामान्तरकरण संख्या 2101 ए दिनांक 18/08/2007 में एक ही हिस्से 18/25 को दो बार अलग–अलग नाम से दर्शाने एवं उसी अनुसार जमाबन्दी में भी एक हिस्से 18/25 का दो बार अलग–अलग नाम से अंकन होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 2101ए दिनांक 18/08/2007 में एवं जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2063 के खाता संख्या 15 में दर्ज अन्तिम प्रविष्टि

Scanned by CamScanner

रामजानकी धर्मपत्नी उत्तमचन्द परवाल सा0 प्लॉट नम्बर ए 28 रामनगर शास्त्री नगर जयपुर हि. 18/25 का अंकन नवीन जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 605 व जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 693 पर किया गया हैं। उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण संख्या 2101 ए दिनांक 18/08/2007 दर्ज करने में हुई त्रुटि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू में अपील दायर कर शुद्धि करवाई जा सकती हैं।" हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान किये गये कथन का ध्यानपूर्वक मनन किया। वादी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनाम प्रस्तुत किया एवं यह निवेदन किया कि यदि प्रस्तुत राजीनामा प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जाता है तो उभय पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी। पत्रावली के अवलोकन व पटवारी हल्का बोराज की रिपोर्ट से वाद के अन्तर्गत चाहे जा रहे अनुतोष की पुष्टि होती है। उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2274, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2358 कुल किता 07 कुल रकबा 18.6200 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 4 रामजानकी के दर्ज हिस्सा 18/25 को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का हिस्सा 3/25, प्रतिवादी संख्या 4/1 कृष्ण कुमार का हिस्सा 11/25, प्रतिवादी संख्या 5 पुनीत का हिस्सा 4/25 दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner